UPAU010025452026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया

उपस्थितः–**पारूल जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा)** J.O. Code UP–2391

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**709/2026**

मुहम्मद इमरान पुत्र मुहम्मद हसमत निवासी ग्राम महलवाला थाना किठौर, जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश

..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या–112/2026
धारा–132 सी.जी.एस.टी. एक्ट
व 420, 467, 468, 471, 34 भा.दं.सं.
थाना–औरैया, **जनपद**–औरैया

दिनांकः 01.06.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **709/2026** प्रार्थी/अभियुक्त **मुहम्मद इमरान** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **112/2026** अन्तर्गत धारा **132 सी.जी.एस.टी. एक्ट व 420, 467, 468, 471, 34 भा.दं.सं.,** थाना **औरैया**, जनपद औरैया के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि इस कार्यालय में श्री मोहम्मद चांद पुत्र श्री नूर मुहम्मद निवासी कस्बा खानपुर, कनहर भगौतीपुर रोड म०न० 708 औरैया द्वारा दिनांक 17.10.2022 को सर्वश्री मून इण्टरप्राइजेज मुख्य व्यापार स्थल, ग्राउण्ड फ्लोर 708 भगौतीपुर, कनहर कस्बा, खानपुर के पते पर पंजीकृत करायी गयी है। जिसका जी.एस.टी.ए. 09BLJPC6649G1ZV दिनांक 17.10.2022 से प्रभावी एवं दिनांक 28.02.2023 से निरस्त है। इनके द्वारा संगत वर्ष 2022–23 में बोगस खरीद करते हुए बिक्री की गयी है। विभागीय अभिलेखों पर उपलब्ध दूरभाष नंवर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है एवं राज्य कर अधिकारी द्वारा दिनांक 13.02.2023 को घोषित व्यापार स्थल पर जांच करने पर फर्म अस्तित्वहीन पायी गयी है। जांच के उपरान्त व्यापारी को सम्मन जारी करने पर व्यापारी उपस्थित नहीं हुए। इससे स्पष्ट है कि श्री मोहम्मद चांद पुत्र श्री नूर मुहम्मद निवासी कस्बा खानपुर, कनहर भगौतीपुर रोड, म0न0 708 औरैया द्वारा पंजीयन लेने के उपरान्त बोगस आई०टी०सी० प्राप्त कर एवं अग्रेसित कर करापबंचन का कृत्य किया गया है जिससे राजस्व की क्षति हुई है जो जी०एस०टी० अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आपराधिक कृत्य है तथा भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत भी दंडनीय है। अतः उपयुक्त के संबंध में श्री मोहम्मद चांद पुत्र श्री नूर मुहम्मद निवासी कस्वा खानपुर, कनहर भगौतीपुर रोड, म0न0 708 औरैया के विरुद्ध जी0एस0टी0 में करापवंचन किये जाने के अनुक्रम में भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसको उपरोक्त मुकदमा में थाना हाजा की पुलिस द्वारा कतई झूठा फंसा दिया गया है। उसके द्वारा कोई

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.06.01 13:24:26 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

भी अपराध कारित नहीं किया गया है। वह पूर्णतः निर्दोष है। वादी मुकदमा के अनुसार जो बोगस फर्म बताई गयी है, वह फर्म मोहम्मद चांद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी कस्बा खानपुर, कनहर भगौतीपुर रोड औरैया के नाम से पंजीकृत होना बतायी गयी है और उक्त फर्म के जी०एस०टी० भी मोहम्मद चांद के नाम से पंजीकृत होना बताया गया है। दौरान विवेचना उसको शक के आधार पर थाना हाजा की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से एक लैपटॉप, एन्ड्रॉइड फोन, राउटर व हार्डडिस्क तथा पेन ड्राइव बरामद होना बताया गया है, जिसमें से उसका एक मोबाइल नम्बर 9917382786 है। उसके उक्त मोबाइल से कोई भी ऐसी आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त नहीं हुयी है, जिससे कि यह साबित हो सके कि उसकी उपरोक्त मामले में कोई संलिप्तता पाई जाती। उसके नाम वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है और न ही वह किसी फर्म का स्वामी या संचालक है। उसके कब्जे से किसी भी प्रकार का कोई कूटरचित दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है। थाना हाजा की पुलिस द्वारा मात्र शक के आधार पर उसको उसके घर से गिरफ्तार करके उपरोक्त मुकदमें में झूठा फंसा दिया गया है, जबकि उसके द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। उसका जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.05.2026 को विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। खारिजा आदेश साथ में संलग्न है। वह अकारण ही दिनांक 24.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है और वह किसी भी आपराधिक मामले में पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। वह अपनी उचित एवं विश्वसनीय जमानतें प्रस्तुत करने को तैयार है। जमानत पर रिहा होने के उपरान्त वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा और न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी तिथियों पर हाजिर अदालत आता रहेगा और उपरोक्त मुकदमा के निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दौरान विचारण मुकदमा उसको उचित धनराशि की जमानत और निजी मुचलके पर रिहा किया जाना न्यायसंगत है। अतः दौरान विचारण मुकदमा उसको उचित धनराशि की जमानत एवं निजी मुचलके पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा संगत वर्ष 2022–23 में बोगस खरीद करते हुए बिक्री की गयी है। जब राज्य कर अधिकारी द्वारा दिनांक 13.02.2023 को घोषित व्यापार स्थल पर जांच करने पर फर्म अस्तित्वहीन पायी गयी है। जांच के उपरान्त व्यापारी राज्य कर अधिकारी के समक्ष सम्मन किये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए। अभियुक्त द्वारा पंजीयन लेने के उपरान्त बोगस आई०टी०सी० प्राप्त कर एवं अग्रेसित कर करापबंचन का कृत्य किया गया है जिससे राजस्व की क्षति हुई है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाना चाहिए।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर संगत वर्ष 2022–23 में बोगस खरीद करते हुए बिक्री की गयी है। जब राज्य कर अधिकारी द्वारा दिनांक 13.02.2023 को घोषित व्यापार स्थल पर जांच करने पर फर्म अस्तित्वहीन पायी गयी है। जांच के उपरान्त व्यापारी राज्य कर अधिकारी के समक्ष सम्मन किये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए। अभियुक्त द्वारा पंजीयन लेने के उपरान्त बोगस आई०टी०सी० प्राप्त कर एवं अग्रेसित कर करापबंचन का कृत्य किया गया है जिससे राजस्व की क्षति हुई है। आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। भारतीय दण्ड सहिंता में जो धाराएं वर्णित है उसमें सात साल एवं दस साल तथा आजीवन कारवास का प्रावधान है। सी.डी. परचा नम्बर 22 के पृष्ठ 6 व 7 पर यह वर्णित है कि "मुकदमा उपरोक्त की विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के क्रम में समस्त टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी जिसमें उ 0 प्र 0 शासन कर एंव निबन्धन अनुभाग 2 द्वारा प्रदेश के जनपदो में बोगस, अस्तित्वहीन, फर्जी फर्मों द्वारा किये गये संव्यवहारो की जांच से प्राप्त साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मून इंटरप्राइजेज के दस्तावेजो से प्राप्त ईमेल आईडी misraaccociatesgmail.com के एक्सिस से आईपी प्राप्त हुई। प्राप्त आईपी को रन कराने के उपरान्त मोबाइल नम्बर 6398176272 प्राप्त हुआ जो मोबाइल से आपरेट नहीं हो रहा है बल्कि राउटर /डांगल (M2M डिवाइस) में चल रहा है मोबाइल नम्बर

6398176272 की कैफ आईडी सर्विलांस सेल से प्राप्त की गयी जिसका अवलोकन किया गया तो शाह आलम पुत्र शेरअली निवासी मकान न 03 अबरार नगर तारनपुर मेरठ 250002 के नाम से होना पाया गया। शाह आलम व उसकी आफिस में कार्यरत सहयोगी विशाल तथा मून इण्टरप्राइजेज के बिल कटवाने वाले मो० अतहर को अन्तर्गत धारा 179 बीएनएसएस का नोटिस देकर थाना कार्यालय पर बुलाया गया था जो अपने परिजनो के साथ मय उपकरण के थाना कार्यालय पर उपस्थित हुए। जीएसटी टीम द्वारा पुनः उपरोक्त तीनो संदिग्ध व्यक्ति शाह आलम, विशाल, अतहर से पूछताछ की गयी तो शाह आलम द्वारा बताया गया कि मैं एकाउण्टेन्ट हूँ लेकिन सी.ए. की तरह काम करता हूँ मेरा एक कार्यालय है जिसमे विशाल मेरे साथ काम करता है मुझे जीएसटी के बारे में अच्छी जानकारी है मै जीएसटी की फर्म का रजिस्ट्रेशन भी कर देता हूँ मो० इमरान पुत्र हसमत निवासी ग्राम महलवाला थाना किठौर जनपद मेरठ मेरे रिश्तेदार है उसने मुझे इमरान पुत्र चमन खां निवासी गढी पिलखुआ हापुड का आधार कार्ड व पैन कार्ड, फोटो मोवाइल नम्बर, ईमेल आईडी व अन्य कागजात लाकर दिये थे और मुझसे चमन ट्रेडर्स नाम की फर्जी फर्म बनाने के लिए बोला था तो मैने फर्म का रजिस्ट्रेशन हेतु अपने कार्यालय से आनलाइन एप्लाई किया था जिस पर चमन ट्रेडर्स फर्म जिसका जीएसटी नं0 09AOCP13658GIZW मिला था और इस फर्म का आईडी व पासवर्ड इमरान के पास आया था जो उसने बाद मे मुझे दे दिया था। इमरान की फर्म चमन ट्रेडर्स के बिल इमरान के कहने पर मै ही काटता था जिसका ओटीपी इमरान के पास जाता था। इमरान ने मुझसे बैट्री स्क्रैप के करीब 60 लाख रूपये को तीन बिल काटने के लिए बोला था तब मैने अतहर से सम्पर्क किया था और अतहर के कहने पर मेरे आफिस में काम करने वाले मेरे सहयोगी विशाल ने उसकी फर्म मून इण्टरप्राइजेज जिसका जीएसटी नं0 09BLJPC6649G1ZV है से चमन ट्रेडर्स जिसका जीएसटी नं0 09AOCP13658GIZW है को करीब 60 लाख रूपये के तीन बिल अलग अलग तारीख में काट दिये थे। शाह आलम से फर्म मून इण्टरप्राइजेज से फर्म चमन ट्रेडर्स को काटे गये तीनो बिल चेक कराने के लिए बोला गया तो विशाल द्वारा लैपटाप की टैली प्रोग्राम खोलकर चेक कराया गया तो फर्म मून इण्टरप्राइजेज से फर्म चमन ट्रेडर्स को अलग अलग तिथियो में तीन बिल काटा जाना पाया जा रहा है। तत्पश्चात उक्त तीनो व्यक्तियो से फर्म से सम्बन्धित व काटे गये बिल के सम्बन्ध मे लीगल दस्तावेज तलब किये गये तो बताया कि समस्त दस्तावेज वर्तमान में हमारे पास नहीं है।" फर्द बरामदगी में अभियुक्त के पास से लैपटाप व मोबाइल व अन्य उपकरणो की बरामदगी बतायी गयी है। यह एक आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। अभियुक्त पर सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फर्जी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराकर फर्जी बिल बनाने तथा राज्य कर को क्षति पहुचाये जाने का आरोप है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास दस्तयाब नहीं होने का वर्णन पुलिस आख्या में किया गया है। अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **मुहम्मद इमरान** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या **112/2026** अन्तर्गत धारा **132 सी.जी.एस.टी. एक्ट व 420, 467, 468, 471, 34 भा.दं.सं.**, थाना **औरैया**, जनपद औरैया के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र न्यायहित में निरस्त किया जाता है।

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया